पत्र संख्या–कमिश्नर कैम्प/2020–21/ 16. वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(कमिश्नर कैम्प)

लखनऊ :: दिनांक :: 29 मई, 2020

:: कार्यालय आदेश ::

विभागीय कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी लम्बित मामलों के त्वरित निस्तारण तथा संवेदनशील प्रशासन के दायित्व के दृष्टिगत सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा मृतक आश्रित के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों को संकलित कर उनका समयबद्ध निस्तारण कराया जाना नितांत आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर एवं मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी लंबित लाभों का विवरण मुख्यालय (स्थापना राजपत्रित/अराजपत्रित/लेखा अनुभाग) प्रस्तुत किया जाए, जिसमें संवर्गवार लंबित वेतन निर्धारण, ए0सी0पी0, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अर्जित/मातृत्व अवकाश आदि स्वीकृति, अदेयता प्रमाण पत्र, नकदीकरण, पेंशन पुनरीक्षण आदि अन्य समस्त सम्बन्धी प्रकरणों की संख्या का उल्लेख हो। साथ ही सेवानिवृत्त कार्मिकों के प्रकरणों में भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमानुसार कार्यवाहियां प्राथमिकता के आधार पर तत्परता से सम्पादित करायें। ऐसे समस्त अधिकारी/कर्मचारी/सेवानिवृत्ति कार्मिको, जिनके सेवा सम्बन्धी प्रकरण वर्तमान समय में लम्बित चल रहे हों, वे प्रकरण सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर को अवगत कराते हुए इस कार्यालय को भी फैक्स नं0–0522.2721167 अथवा ई–मेल cctup2013@gmail.com के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।</u>

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :–

1. एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)/एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित, कि अपने अधीनस्थ अनुभाग (स्थापना राजपत्रित/अराजपत्रित) से प्रकरण की नियमित रूप से स्वयं समीक्षा कर सयम–समय पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
3. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।